क्रम-सं०-316 (क-1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 11 दिसम्बर, 2013

अग्रहायण 20, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग–10

संख्या 3038/छः-पु०-10–2013-27(65)-2012

लखनऊ, 11 दिसम्बर, 2013

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०–73

पुलिस अधिनियम 1861 (अधिनियम संख्या 5, सन 1861) की धारा 2 और धारा 46 की उपधारा (3) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2008 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (सातवां संशोधन) नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (सातवां संशोधन) नियमावली, 2013 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम-5 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2008, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उप नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान उप नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(1) उप निरीक्षक (1) पचास प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम से भरा जाएगा।	(1) उप निरीक्षक (एक) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम से।

स्तम्भ-1 विद्यमान उप नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
सेवाकाल में दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती भी उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की नियमावली, 1974 के अनुसार की जाएगी। नियुक्ति प्राधिकारी इस नियमावली के अधीन भर्ती करेगा। (2) निम्नलिखित पात्रता शर्तो को पूर्ण करने वाले उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस/सशस्त्र पुलिस/माउंटेड पुलिस/पीएसी के मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य आरक्षी और आरक्षियों में से विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पचास प्रतिशत पदोन्नति द्वारा :- (क) भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन इस रूप में तीन वर्ष की सेवा परिवीक्षा अवधि को छोड़कर पूर्ण कर ली हो, (ख) भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन 40 वर्ष से अधिक की आयु न हुयी हो।	(दो) पचास प्रतिशत पद, मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य आरक्षी उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। (तीन) निःसंवर्गीय पदों पर पदोन्नत उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस) भी, जो खण्ड (दो) में उल्लिखित अपेक्षा पूर्ण करते हैं, उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु अर्ह होंगे।

नियम 10 का संशोधन

4-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
10. जिस कलेण्डर वर्ष में सीधी भर्ती की रिक्तियां प्रकाशित की जांय, उसकी जुलाई के प्रथम दिन अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो ; परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतनी होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए।	10. जिस कैलेण्डर वर्ष में सीधी भर्ती की रिक्तियां प्रकाशित की जाएं, उसकी जुलाई के प्रथम दिन अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो : परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतनी होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए : परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या-पीआरपीबी-एक-1/2011, दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसरण में उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया हो, परन्तु उक्त पद पर भर्ती नहीं की जा सकी थी, को अधिकतम आयु सीमा में शिथिलता प्रदान की जायेगी ताकि वे उक्त पद पर आगामी भर्ती में सम्मिलित होने के लिए पात्र हो सकें।